न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 703/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पपूडी पत्नी चतुराराम विश्नोई निवासी सेवालों की ढाणी, पालासनी, तहसील कूडी, जिला जोधपुर		1. दाखूडी पत्नी मोहनलाल विश्नोई निवासी सिंवरो का बास, रूडकली तहसील व जिला जोधपुर 2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण), राजस्व विविध प्रा0प0 संख्या 96/2022 दिनांक 02.12.2022

उपस्थित–

1. श्री हनुमान प्रजापति, वकील अपीलाण्ट
2. श्री लाधूराम पूनिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 27.05.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया–रेस्पो0 सं0 1–दाखुडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील जोधपुर के ग्राम पालासनी स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 517 रकबा 7.06 बीघा, ख0नं0 517/1 रकबा 7.06 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 14.12 बीघा भूमि की तरमीम(सीमांकन) किया जाकर व नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु अपीलांट–अप्रार्थीया–पपुडी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.12.22 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थीया–रेस्पो0 सं0 1 की उल्लेखित खसरान की भूमि पर सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 11.7.22 अनुसार पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अप्रार्थीया सं0 1–पपूडी ग्राम पालासनी के खसरा नं0 516 पर काबिज काश्त एवं रेकर्डेड खातेदार है। मौके पर वक्त खरीद से ही तारबंदी की हुई है। रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के लिए रास्ता न होने के कारण धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त प्रकरण सं0 79/2019 में रेस्पो0 सं0 2–तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में रास्ते के लिए खसरा नं0 516 में से निकट न होकर खसरा नं0 318 के निकट रास्ता होने का उल्लेख किया गया, जो रेस्पो0सं0 1 को स्वीकार नही था। इस कारण धारा 111, 128 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खसरान की पत्थगढी की आड में अपीलांट को बेदखल करने व उसकी तारबंदी हटवा कर आपसी मिलीभगत से धारा 251–ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाना चाहती है। जबकि कानूनन सीमाज्ञान के बिना नेखमबंदी/पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित करना न्यायोचित नही है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर उसे पक्षकार बनाया गया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन करने के बावजूद प्रार्थीया को फायदा पहुचाने की नीयत से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इसके अलावा प्रकरण में अपीलांट की जानकारी के बिना कृषि वर्ष में तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 11.7.22 प्रस्तुत की गई, जो एक दिशा के नाप की है, चारो ओर से सीमाएं नही नापी गई व मौके पर कब्जा कम दर्शाया गया है। आरएलआर एक्ट की धारा 111, 128 में सीमाज्ञान व कब्जा बाबत स्पष्ट प्रावधान है तथा उपचार भी विवेचित है, जिसे नजर अंदाज किया गया। कब्जा यदि साबित नही होता है तो धारा 183 का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थीया–रेस्पो0 सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0सं0 1–दाखूडी ग्राम पालासनी स्थित खसरा नं0 517/1 एवं 517 की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहती है। मौका फर्द

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 11.7.22 तहसीलदार जोधपुर के आदेशानुसार राजस्व कार्मिकों द्वारा तैयार की गई, जिसमें अपीलांट का पुत्र मौके पर मौजूद था। मौका फर्द में राजस्व नक्शे से सीमांकन करने पर मौके पर कब्जा कम होना बताया गया है। अतः प्रकरण में सीमांकन प्रकिया पूर्ण होने से अपीलाधीन आदेश यथावत रखने आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पो0 का मौके पर सीमा संबंधी विवाद है। यह भी प्रकट है कि इस स्थिति में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदार–अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। जिसे बाद में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार संयोजित किया गया। मौका फर्द दिनांक 11.7.22 में मौके पर प्रार्थीया के अलावा अन्य पडौसी खसरान के खातेदार/अपीलांट की उपस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नही है। अतः अपीलांट का यह कथन कि प्रकरण में उसकी जानकारी के बिना कृषि वर्ष में तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 11.7.22 प्रस्तुत की गई, मानने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 96/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 1 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर